न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 33/2014/223 आर टी ए

1. कौरादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नि हजारीराम जाति चमार निवासी ढाणी मोहब्बपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा (फौत)।

1/1 कालुराम पुत्र कौरादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नि हजारीराम जाति चमार निवासी ढाणी मोहब्बपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

1/2 मानसिंह पुत्र कौरादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नि हजारीराम जाति चमार निवासी ढाणी मोहब्बपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा

1/3 बलवालसिंह पुत्र कौरादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नि हजारीराम जाति चमार निवासी ढाणी मोहब्बपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा

1/4 पूनमचंद पुत्र कौरादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नि हजारीराम जाति चमार निवासी ढाणी मोहब्बपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा

1/5 कृष्णादेवी पुत्री कौरादेवी पुत्री चुन्नीराम पत्नि हजारीराम जाति चमार निवासी ढाणी मोहब्बपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा

––अपीलांटस

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र चुन्नीराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा (फौत)

1/1 मीरां पत्नि कुरडाराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

1/2 सावंतराम पुत्र कुरड़ाराम (फौत)।

1/2/1 शंकर पुत्र सावंतराम पुत्र कुरडाराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

1/2/2 सुरेन्द्र पुत्र सावंतराम पुत्र कुरडाराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

1/2/3 सुमित्रा (पुत्री सावंतराम पुत्र कुरडाराम) पत्नि चन्दपाल जाति मेघवाल निवासी पडरेउताल तहसील तारानगर चूरू।

1/2/4 जमना (पुत्री सावंतराम पुत्र कुरडाराम) पत्नि तेजपाल पुत्र नन्दराम जाति चमार निवासी गांव धोलपालिया तहसील भादरा।

1/2/5 हरदेई पत्नि सावंतराम पुत्र कुरडाराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

1/3 दयाराम पुत्र कुरडाराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

1/4 सन्तरो पुत्री कुरडाराम पत्नि खेतरपाल पुत्र चुन्नीराम गांव खरलिया तहसील पीलीबंगा।

1/5 विद्यादेवी पुत्री कुरडाराम पत्नि धर्मपाल पुत्र चन्दूराम (फौत)।

1/5/1 पुनम पुत्री धर्मपाल पुत्र चन्दूराम जाति मेघवाल निवासी अलायला तहसील भादरा।

1/5/2 बनवारी पुत्र धर्मपाल पुत्र चन्दूराम जाति मेघवाल निवासी अलायला तहसील भादरा।

1/5/3 बाला पुत्री धर्मपाल पुत्र चन्दूराम जाति मेघवाल निवासी अलायला तहसील भादरा।

2. मोमनराम पुत्र चुन्नीराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. काशीराम पुत्र रामुराम जाति चमार निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सब रजिस्ट्रार तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्रकरण संख्या 19/2013 अनवानी कोरादेवी आदि बनाम कुरडाराम आदि

उपस्थित :–

श्री विजयक कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0

श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–13.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि चुन्नी पुत्र किशनाराम के पास चक 6 झांसल की भूमि है। चुन्नीराम की मृत्यु करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादिया की माता का भी देहान्त हो चुका है। इस प्रकार चुन्नीराम की मृत्यु के बाद उसके वारिस उसकी पुत्री वादिया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 तीनो बहिस्सा बराबर हुए। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण केवल अपने को चुन्नीराम के वारिस बताकर कुल वाद भूमि का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इसी आधार पर वादिया/अपीलांट ने चुन्नीराम की भूमि वादिया 1/3 यानि प्रत्येक वारिस को तीनो को बहिस्सा बराबर की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय विरचित तनकीयात का कोई विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद वादिया खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि विवाधक सं. 1 यह था कि आया वादिया प्रतिवादी सं. 1 व 2 की बहन है लिहाजा चुन्नीराम की विरासत के रूप मे वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी के साथ 1/3 हिस्से मे बहिस्सा बराबर अपना नाम दर्ज करवाने के तद्नुसार उद्घोषणा प्राप्त करने की हकदार है ? जिसका सिद्ध भार वादीगण पर था विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी सं. 1 को सिद्ध करने हेतु अपीलांट की ओर से जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 एवं वारिस प्रमाण पत्र चुनीराम प्रदर्श 3 पेश किये थे एवं मौखिक रूप मे चार गवाह पेश हुए जिनसे यह बखूबी सिद्ध था कि वादिया कोरादेवी प्रतिवादी सं. 1 व 2/रेस्पो0 की बहन है। प्रदर्श 3 के विरोध स्वरूप पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था जिससे प्रदर्श 3 का खण्डन हो सके। वाद की तनकी सं. 2 यह थी कि आया वादिया प्रतिवादी सं. 1 की बहन व स्व. चुनीराम की पुत्री नही है बल्कि प्रतिवादी सं. 2 की बहन व लिछमण की पुत्री है। लिहाजा वादिया चुनीराम की वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी मे कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नही है ? जिसका सिद्ध भार प्रतिवादी/रेस्पो0 पर था। विचारण न्यायालय के समक्ष मात्र मौखिक साक्ष्य के अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने विवाधक सं. 2 को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत नही किया था इस प्रकार विवाधक सं. 2 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण/रेस्पो0 किसी सूरत मे निर्णय नही हो सकता था।

4. विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद मे वारिसान के संबंध मे मृतक खातेदार के पुत्र पुत्री सहोदर भाई बहन होने संबंधित विवाद होने के कारण वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के आधार पर खारिज किया है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। प्रथमतः अपीलांट/वादी ने प्रदर्श 3 दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिसे किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है इस कारण इस प्रकार का विवाद मात्र मौखिक रूप से कह देने से प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही बनता है एवं इस प्रकार के वाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा किया जा सकता है फिर भी दावा विचारण न्यायालय द्वारा जिस आधार पर खारिज किया है वह भी विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अगर प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बनता भी था तो विचारण न्यायालय को विवाधक कायम कर उस विवाधक पर सिविल न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय मे प्रकरण को प्रेषित करना चाहिए था। अधिवक्ता अपीलांट ने आरआरडी 2016 पेज 242 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बहस मे कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार हमारे देश मे किसी व्यक्ति को पुरूष या महिला साबित करने के लिये समक्ष न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नही है ना ही किसी व्यक्ति को सन्तान होने या न होने बाबत डिक्री प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट कोरादेवी चुन्नीराम की पुत्री नही है। अपीलांट की माता का नाम चन्दो था जिसकी शादी रूपराम पुत्र जोराराम के साथ हुई थी जिसके नुत्फे से 5 सन्तान पैदा हुई रामजीलाल, नरसी, ख्याली, भुरू, मनीराम। रूपराम का देहान्त होने के बाद चन्दो ने लिछमण के साथ करेवा कर लिया लिछमण के नुत्फे से उसके एक पुत्र प्रतिवादी सं. 1 मोमनराम व अपीलांट कोरादेवी पैदा हुए। लिछमण के एक पुत्र पहली औरत से गिरधारी था जो फौत मे नौकरी करता था फौज से आने के बाद वह अपनी जमीन जायदाद बैच कर साधु हो गया। लिछमण के नाम कृषि ना रहने के कारण मोमनराम ने अपने आप को गलत रूप से चुन्नीराम का वारिस दिखा कर अपना नाम उसकी भूमि मे दर्ज करवा लिया और उसी बात गलत फायदा उठाकर कौरादेवी ही लिछमण की पुत्री न दिखाकर चुनी की पुत्री बनकर उससे गलत रूप से हिस्सा लेना चाहती है। आरआरटी 2007 (1) पेज 723 के अनुसार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद उतराधिकारिता का प्रश्न उतराधिकारिता के प्रश्न को निर्णित करने हेतु केवल सिविल न्यायालय सक्षम है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट/वादिया का दावा खारिज किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरअी 2007 (1) पेज 723, आरबीजे 1998 पेज 487 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से विचारण न्यायालय ने वाद कोरादेवी बनाम कुरडाराम आदि मे कायम किये गये विवाधको के निर्णय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होना मानते हुये दावा खारिज किया है साथ ही यह भी अवधारण पारित कर दी कि कोरादेवी व कुरडाराम व मोमनराम तीनो चुन्नीराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है यह वादिया द्वारा पेश दस्तावेजात से पूर्णतः साबित नही पाया जाता है। जिससे कतई स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय मे अंकित कथन कतई विरोधाभाषी है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर विवाधक वाईज प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्णय हेतु लौटाया जावे अथवा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 2 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज की जाती है एवं वाद पुनः निर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है अथवा वाद डिक्री किया जाता है तो रेस्पो0 उससे पूर्णतः सहमत है।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो मीरादेवी वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज असल वारिस प्रमाण पत्र चुन्नीराम पुत्र किसनाराम दिनांक 07.05.17 प्रस्तुत किया तथा रेस्पो0 सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज प्रमाणित प्रति मतदाता सुची सन् 1998, प्रमाणित प्रति इंतकाल सं. 49 बहक चन्दो वगैरा दिनांक 27.11.78, प्रमाणित प्रति इंतकाल सं. 206 दिनांक 08.08.97 प्रस्तुत किये। रेस्पो0 मीरोदेवी वगैरा एवं रेस्पो0 सं. 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो के साथ संलग्न दस्तावेजात निर्णय मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए दोनो ही प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड मे लिया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि '' वादिया ने अपने पिता की भूमि मे हक हिस्सा पाने के लिए वाद पेश किया है परन्तु प्रतिवादी ने यह जाहिर किया है कि कौरादेवी चुनीराम की पुत्री न होकर लिछमण की पुत्री है। इस प्रकार पक्षकारो द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध मे पृथक पृथक व विरोधाभाषी कथन किये है जबकि साक्ष्य मे मात्र ग्राम पंचायत का उतराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि विवाद की स्थिति मे पर्याप्त नही माना जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण जो कि मृतक खातेदार द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि मे प्रथम श्रेणी के वारिसान की हैसियत से संबंधित है कि मैरिट पर शीर्षक विचार उसी स्थिति मे किया जा सकता है जब किसी वारिसान के संबंध मे कोई मतभेद न हो। प्रस्तुत वाद मे मृतक खातेदार के पुत्र पुत्री सहोदर भाई बहिन होने पर गहरा व गम्भीर किश्म का मतभेद है तथा निर्धारित किये गये दोनो ही विवाधक इसके इर्द गिर्द है अर्थात दोनो ही विवाधक राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है तथा उतराधिकार की निर्धारण सिविल न्यायालय का विचाराधीन प्रश्न है।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मे वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर दो तनकीयात कायम कि आया वादिया प्रतिवादी सं. 1 व 2 की बहन है लिहाजा चुनीराम की विरासत के रूप मे वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी के साथ 1/3 हिस्से मे बहिस्सा बराबर अपना नाम दर्ज करवाने के तद्नुसार उदघोषणा प्राप्त करने की हकदार है–वादिया। आया वादिया प्रतिवादी सं. 1 की बहन व स्व. चुनीराम की पुत्री नही है बल्कि प्रतिवादी सं. 2 की बहन व लिछमण की पुत्री है लिहाजा वादिया चुनीराम की वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी मे कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नही है–प्रतिवादी।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विरचित दोनो ही तनकी का विवेचन किये वगैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट स्व. चुनीराम की पुत्री है जो वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.08 को ग्राम पंचायत गढ़ीछानी पंचायत समिति भादरा द्वारा जारी किया गया, से साबित है। जिसे किसी भी न्यायालय से निरस्त नही करवाया गया है। कृषि भूमि के लिए मृतक खातेदार के विरासत हेतु उतराधिकार का निर्धारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे है तथा इनका निर्धारण दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दावा मे विरचित तनकीयात का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.04.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ